प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 11.12.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 11.12.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र में भ्रमण कर बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में किया गया जागरुक-

शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वावलंबी, सशक्त बनाने और सुरक्षित माहौल प्रदान करने तथा उनके अधिकारों के सम्बंध में उनको जागरूक करने व उनके साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम तथा उनमें सुरक्षा/आत्मविश्वास की भावना जागृत करने के उद्देश्य से समग्र अभियान "मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान" चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 11.12.2024 को नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की शक्ति दीदी/महिला बीट आरक्षियों/एण्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत स्कूल/कालेज/बीट/गांव आदि में जाकर मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत जागरुकता कार्यशाला एवं चौपाल लगाकर बालिकाओं एवं महिलाओं की शिकायतों एवं समस्याओं की सुनवाई की गयी तथा "मिशन शक्ति फेज-05" के सम्बन्ध में सभी बालिकाओं/महिलाओं को जागरूक किया गया, उनकी समस्याओं को सुनते हुए उन्हें मनचलों, अराजक तत्वों से निपटने तथा आत्मरक्षा करने के लिए आवश्यक आत्मरक्षात्मक गुण सिखाये गये इसके साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस एव शासन द्वारा बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे- 1090-वुमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076–मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण से संबंधित उ0प्र0 शासन की विभिन्न योजनाओं व प्राथमिकताओ के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित कर जागरूक किया गया।

थाना कबरई की पुलिस टीम ने 03 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 10.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी थाना कबरई श्री गोपालचन्द्र कनौजिया द्वारा गठित की गई उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह परिहार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 03 नफर वारण्टी अभियुक्तगण क्रमशः 1.सुरेश पुत्र कमतू निवासी पिडारी थाना कबरई जनपद महोबा 2.नवल पुत्र कमतू निवासी पिडारी थाना कबरई जनपद महोबा सम्बन्धित मु0नं0 1185/18 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना कबरई जनपद महोबा एनसीआर नं0 100/16 थाना कबरई जनपद महोबा 3.राजेश यादव पुत्र मुल्ला यादव निवासी परसहा थाना कबरई जनपद महोबा सम्बन्धित सी.पी.नं0 900/60 धारा 272/337/427 भादवि0 अ0सं0 1203/10 थाना कबरई जनपद महोबा में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपाल में अभियुक्तगण उपरोक्त को भिन्न-भिन्न स्थानों से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को सम्बन्धित मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह परिहार
2. कां0 शुभम कुमार

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. सुरेश पुत्र कमतू निवासी पिडारी थाना कबरई जनपद महोबा
2. नवल पुत्र कमतू निवासी पिडारी थाना कबरई जनपद महोबा
3. राजेश यादव पुत्र मुल्ला यादव निवासी परसहा थाना कबरई जनपद महोबा

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 11.12.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

जनपदीय एसओजी एवं थाना कोतवाली नगर महोबा की संयुक्त पुलिस टीम ने हत्या की घटना कारित करने वाले 02 नफर वांछित अभियुक्तों को मय आलाकत्ल के साथ किया गिरफ्तार-

दिनांक 07.12.2024 की रात्रि में थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्रअन्तर्गत पचपहरा गांव से सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ जिसमें एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष पर हमलावर हो गये, जिसमें दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को धार-दार हथियार से चोटें आयीं जिससे उनकी दुःखद मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर तत्काल ही पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल सहित जनपद के समस्त उच्चाधिकारीगण मय भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे व घटना स्थल का मौका मुआयना करते हुए साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी। इस सन्दर्भ में प्राप्त तहरीर के आधार थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 638/24 धारा 191(2)/191(3)/190/3(5)/333/352/115(2)/351(3)/103(1)/118(1) BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय एसओजी एवं थाना कोतवाली महोबा की संयुक्त पुलिस टीमों को लगाया गया।

जिसके क्रम में दिनांक- 10.12.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री अर्जुन सिंह मय टीम व जनपदीय एसओजी प्रभारी श्री शिवप्रताप सिंह मय टीम के नेतृत्व में गठित संयुक्त पुलिस टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय में पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 02 नफर वाछिंत अभियुक्तगण क्रमशः 1.अमित कुमार अहिरवार पुत्र विनोद उम्र करीब 19 वर्ष 2.पवन पुत्र विनोद अहिरवार उम्र 20 वर्ष को मय आलाकत्ल 01 अदद चाकू व 01 अदद कुल्हाडी के साथ क्रमशः अभि0 अमित को श्री राजेन्द्र कुमार न्यायमूर्ति के फार्म हाउस के पास महोबा कुलपहाड़ रोड व अभि0 पवन को महोबा रेलवे स्टेशन के पास से नियमानुसार गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। शेष वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अमित कुमार अहिरवार पुत्र विनोद उम्र करीब 19 वर्ष
2. पवन पुत्र विनोद अहिरवार उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम पचपहरा थाना कोतवाली नगर महोबा

गिरफ्तार अभियुक्तों से हुए बरामदगी-

आला कत्ल 01 अदद चाकू व 01 अदद कुल्हाडी बरामद

वांछित अभियुक्त-

1.राहुल अहिरवार पुत्र बाबूलाल अहिरवार 2. नन्दराम पुत्र रामदीन 3. विनोद पुत्र रामकिशोर समस्त निवासीगण ग्राम पचपहरा थाना कोतवाली नगर महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

थाना कोतवाली नगर महोबा टीम-

1. SHO कोतवाली नगर श्री अर्जुन सिंह
2. निरीक्षक सत्यपाल सिंह
3. उ0नि0 सुजीत जायसवाल
4. हे0का0 विकास सिंह
5.कां0 राजेश सिंह

एसओजी टीम-

1.उ0नि0 शिव प्रताप सिंह एसओजी प्रभारी
2. उ0नि0 रवि कुमार सिंह सर्विलांस प्रभारी
3. हे0 का0 भूपेंद्र सिंह 4. कां0 आशीष बघेल
5. कां0 निर्भय सिंह 6. कां0 अभिषेक दुबे
7. कां0 रंजीत सिंह

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 11.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड के निकट पर्यवेक्षण में थाना चरखारी प्रभारी उ0नि0 सनय कुमार द्वारा गठित की गई उ0नि0 भगवानदीन व उ0नि0 राजकुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त मोन्टी वर्मा पुत्र रामचरन वर्मा उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम काली पहाड़ी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा सम्बन्धित केश नं0 475/2020 धारा 498ए/323/504/506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना चरखारी में मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) जे0एम0 चरखारी महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

मोन्टी वर्मा पुत्र रामचरन वर्मा उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम काली पहाड़ी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 राजकुमार यादव
2. उ0नि0 भगवानदीन

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 11.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महोबकंठ श्री गणेश कुमार द्वारा गठित की गई व0उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त राजनारायण राजपूत पुत्र जयप्रकाश राजपूत उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम कनकुआ थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए ग्राम टूडर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 218/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजनारायण राजपूत पुत्र जयप्रकाश राजपूत उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम कनकुआ थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. वरि0उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह
2. कां0 श्यामू कुमार

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 11.12.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 11.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त यासीन उर्फ घोड़ा पुत्र लाला सफात उम्र करीब 20 वर्ष निवासी बिच्छू पहाड़िया कांशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये बिच्छूपहाडिया कॉलोनी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-646/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

यासीन उर्फ घोड़ा पुत्र लाला सफात उम्र करीब 20 वर्ष निवासी बिच्छू पहाड़िया कांशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल चौकी प्रभारी भटीपुरा
2. म0उ0नि0 नैन्सी प्रजापति
3. हे0का0 मुजीब अहमद
4. का0 मुकेश कुमार

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 11.12.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 11.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 विवेक कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त साहिल पुत्र आविद मोहम्मद उर्फ अब्बी उम्र करीब 25 वर्ष निवासी मो0 भीतरकोट थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा सम्बन्धित सीपीएन नं0 64/17 धारा 457/380/411 भादवि0 में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को मो0 भीतरकोट थाना कोतवाली नगर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

साहिल पुत्र आविद मोहम्मद उर्फ अब्बी उम्र करीब 25 वर्ष निवासी मुहल्ला भीतरकोट थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विवेक कुमार यादव चौकी प्रभारी मनियादेव
2. हे0का0 मुन्नालाल